



1 महत्वपूर्ण निर्देश

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1.1** ऑनलाइन प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों द्वारा अधिकृत हैं।
The instructions related to the online admissions are given here, which are authorized under the Act, Ordinances, Rules & Regulations of the University.
- 1.2** गैप प्रमाण-पत्र: यदि स्नातक परीक्षा/अर्हता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का 10रु0 के स्टाम्प पेपर पर निर्गत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रवेश के समय जमा करें।
Gap Certificate: If there is gap in taking admission after graduation/qualifying examination, then a certificate by the Notary on Rs. 10.00 Stamp paper has to be submitted at the time of admission.
- 1.3** यदि आप आरक्षण (reservation) अथवा शून्य शुल्क (zero fee) का लाभ चाहते हैं तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र का विवरण आनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को भारण या आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी।
If you want benefit of reservation or zero fees, then give the details of the related certificates during the filling of the Online application form. No candidate will get the permission for any change in weightage or reservation after the form is submitted.
- 1.4** प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमितरूप से देखते रहें।
The detailed information of the admission procedure will be displayed on the University website. Candidates are advised to check the University website regularly for updates.
- 1.5** योग्यता सूची घोषित होने पर इसकी प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी को स्वयं अपना योग्यता-क्रमांक, योग्यता-सूची से ज्ञात करना होगा। योग्यता-सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जायेगी।
After declaration of the merit list a copy of the list will be displayed on the University website. The candidate himself/herself will find his/her merit number from the merit list. The merit list will not be published in the newspaper.
- 1.6** वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
The benefit of reservation will be permissible only to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates originally belonging to Uttar Pradesh. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates of other states will be treated as general candidate.
- 1.7** रजिस्ट्रेशन के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances.
- 1.8** छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
As directed by the Hon'ble Supreme Court, action will be taken against the students who indulge in incidence like ragging during studentship.
- 1.9** वे अभ्यर्थी जो किसी भी विश्वविद्यालय/विद्यालय/संस्था से निष्कासित किये गये हैं अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधी पाये गये हैं वह लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिये अयोग्य होंगे।
Those candidates who have been expelled from any University/College/Institution or found guilty under Indian Penal Code are not eligible to apply for any course in the University of Lucknow.
- 1.10** जाति तथा आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।
Caste and income certificates shall be verified on internet.



- 2 कला, वाणिज्य, शिक्षा, विधि तथा विज्ञान संकायों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश अध्यादेश
- Eligibility Rules for Admission in the Faculties of Arts, Commerce, Education, Law and Science to the Post-Graduate Courses**
- 2.1 स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 10+2+3 की शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको * के साथ उत्तीर्ण की हो परन्तु अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रवेशार्थियों के लिए स्नातक परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एलएल.एम. (LL.M.) में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने एलएल.बी. (LL.B.) परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो; अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए स्नातक परीक्षा न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। * (कुछ पाठ्यक्रमों के लिये प्राप्तांक प्रतिशत भिन्न हो सकते हैं। आवेदन के पूर्व अपनी अर्हता अवश्य जाँच लें)
- A candidate will be eligible for Admission to Postgraduate Courses if he/she has completed B.A./B.Sc./B.Com. with 10+2+3 system from any University recognized by University Grants Commission and has secured a minimum 45% of marks* at graduate level. However for SC/ST candidates minimum pass percentage of marks will be 40%. For admission to LL.M. the minimum requirement is 50% (48% for SC/ST) in LL.B. examination. * (Eligibility percentages of Marks may vary for some courses, Candidates are advised to check their eligibility, before online application).
- 2.2 कला, वाणिज्य, विधि विज्ञान और ललित कला संकायों में स्नातकोत्तर छात्रों का दाखिला प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर लिया जायेगा जिसका विवरण खण्ड 5 में दिया गया है।
- In the Faculties of Arts, Commerce, Law, Science and Fine Arts Post Graduate students shall be admitted on the basis of marks obtained in the entrance examination conducted for this purpose. Details are given in section 5 of the PG admission guidelines.
- 2.3 योग्यता के क्रम को निम्नलिखितरूप में निर्धारित किया जायेगा :-
- Order of Merit will be determined as follows:-
- 2.3.1 यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक/श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा:-
- If two or more candidates have secured equivalent marks/rank in the merit Index, then the merit for admission will be determined as follows:-
- 2.3.1.1 यदि अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।
- If the marks secured in the entrance examination are same in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks at class 12 or equivalent examination.
- 2.3.1.2 यदि अभ्यर्थियों के कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।
- If the marks secured in the class 12 or equivalent examination are same in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks at High School or equivalent examination.
- 2.3.1.3 यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक बराबर है तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- If the marks obtained at the High School or equivalent examination are the same, then in that case the older candidate will be given priority.
- 2.4 प्रवेशार्थियों को भारण का लाभ (लागू होने की स्थिति में) योग्यता सूचकांक के आधार पर दिया जायेगा।
- Candidate shall be entitled to weightage (if any) on the merit index.



2.5 एम.ए./एम.एमसी/एम.काम. में प्रवेश के लिए आवश्यक है कि प्रवेशार्थी जिस विषय में प्रवेश चाहता है उस विषय का अध्ययन उसने स्नातक स्तर के अन्तिम वर्ष में किया हो।

A candidate's choice of the subject in M.A./M.Sc./M.Com. shall be restricted to one of the subjects taken in the part-III examination for the Bachelor's Degree.

2.6 कला संकाय में गणित और सांख्यिकी को छोड़कर अन्य विषयों के एम.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी भी अर्ह हैं, जिन्होंने उस विषय का स्नातक स्तर पर अध्ययन न किया हो, जिसमें वे प्रवेश के इच्छुक हैं, किन्तु उनका प्राप्तांक 55 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश किसी भी विषय में उसके कुल स्थानों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। गणित एवं सांख्यिकी विषयों में कला संकाय के स्नातक एम.ए. में प्रवेश के लिए केवल गणित एवं सांख्यिकी विषयों के लिए अर्ह होंगे। बी.एससी. उपाधि वाले स्नातक इन विषयों में एम.ए. में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

In the Faculty of Arts the requirement of subject of study at graduate level for admission to various subjects (except Mathematics and Statistics) shall stand waived off in case of candidate having obtained 55% or more marks at qualifying examination. Admission of such candidates in any subject shall not exceed 10% of the total number of seats. The graduate of the Faculty of Arts will be eligible for admission to M.A. I in Mathematics and Statistics. Science Graduates shall not be eligible for admission to M.A. I in Mathematics and Statistics.

2.7 अभ्यर्थी एक साथ दो परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन नहीं कर सकता है।

A candidate can not pursue two Postgraduate degree courses simultaneously.

2.8 यदि अभ्यर्थी ने पहले ही किसी विषय में परास्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है तो वह दूसरे विषय में परास्नातक पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु अर्ह नहीं होगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा।

A candidate who has already completed Postgraduate course in one subject will not be eligible for the second Postgraduate course except professional course.

2.9 योग्यता सूची सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध रहेगी तथा इसे विश्वविद्यालय वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा।

Final Merit list shall be available in the concerned Departments and same will be available on the University website.

2.10 लखनऊ विश्वविद्यालय किसी भी प्रवेश को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार रखता है।

University reserves the right to cancel any admission at any stage.

2.11 परास्नातक प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

In case of any matter relating to the Postgraduate Admissions, the decision of the Vice-Chancellor/Admission Committee, Lucknow University shall be final and binding.

2.12 परास्नातक प्रवेश से सम्बन्धित सभी विधिक मामलों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

All the legal matters pertaining to the Postgraduate Admissions shall be subject to the Lucknow Jurisdiction only.

2.13 यदि किसी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में आवेदनों की संख्या कुल स्थानों की संख्या के 40% से कम होती है तो उस पाठ्यक्रम में उस शैक्षिक सत्र में प्रवेश नहीं किया जायेगा। इस स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

If the number of applications for a **SELF FINANCING COURSE** is less than 40% of the number of seats, the admission to that program will not be done for this academic year. In this situation the Application Fees will not be refunded.

2.14 विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची घोषित करते समय विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

The Fees of different courses will be displayed while declaring the final Admission List on the University website.